न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00205 **दायरा दिनांक : 18.11.2019**

उनवान

1. रामचरण पुत्र रतना, जाति धाकड़, आयु 60 साल
2. रमेश चन्द पुत्र रतना, जाति धाकड़, आयु 510 साल
3. रामहेतार पुत्र बिरधीलाल, जाति धाकड़, आयु 45 साल
4. कमलाबाई पुत्री रतना, जाति धाकड़, आयु 58 साल
5. केदारबाई पुत्री रतना, जाति धाकड़, आयु 55 साल
   निवासीयान मरायता, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. प्रहलाद कुमार पुत्र धन्नालाल, जाति धाकड़, निवासी मरायता
2. प्रेमबाई पुत्री धन्नालाल, जाति धाकड़, निवासी मरायता
3. नन्द किशोर पुत्र भवानीलाल, जाति धाकड़, निवासी मरायता
4. पन्नालाल पुत्र भवानीलाल, जाति धाकड़, निवासी मरायता
5. गिरिराज पुत्र बद्रीलाल, जाति धाकड़, निवासी मरायता
6. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बद्रीलाल, जाति धाकड़, निवासी मरायता
7. गुमानीशंकर पुत्र बद्रीलाल, जाति धाकड़, निवासी मरायता
   तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज0)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चरण सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 14.08.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर, खानपुर के प्रकरण संख्या – 840/दावा/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व प्रहलाद, प्रेमबाई ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मरायता की खाता संख्या 75, 76 तथा ग्राम गुगलहेड़ी के खाता संख्या 19 तथा ग्राम फूंगाहेड़ी की आराजी बंटवारा करवाने हेतु वाद पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, खानपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2015 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्र संग्रहसार के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित होने से पूर्व राजस्व रेकार्ड का अवलोकन सही तरीके से नहीं कर कानूनी भूल की है। जबकि अपीलांटगण के पिता जी व दादाजी रतना पिता किशना कौम धाकड़ का खाता सं. 19 ग्राम गुगलहेड़ी की 4 किता की 78 बीघा 12 बिस्वा आराजी में 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है लेकिन वादीगण/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 7 ने अपने पक्ष में अपीलांटगण के हिस्से को मर्ज करवाकर अपीलांट के न्याय हितों पर कुठाराघात किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित कर विधि विरूद्ध जाकर यह कृत्य किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय कोर्ट केम्प मरायता का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2015 अपास्त होने योग्य है।

अपीलांटगण अपने पिताजी व दादाजी की आराजी पर कानूनी रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी है। लेकिन रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 7 ने पटवारी हल्का से सांठ–गांठ कर अपीलांटगण के पिताजी व दादाजी का हिस्सा को अपने पक्ष में बंटवारा कर धोखाधड़ी व जालसाजी की है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना पर कुठाराघात किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2015 अपास्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.02.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी. पी. सी. स्वीकार किया जावे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी. पी. सी. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमें साक्ष्य, सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। वादग्रस्त आराजी से हमारा नाम डिलीट कर दिया, खाता संख्या 19 में भी हमारा नहीं है। रतनलाल का 1/4 हिस्सा खत्म कर दिया हमें सूचना नहीं दी गई, ना ही हमें पक्षकार बनाया गया। अतः अपील स्वीकार की जावे और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। अतः हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी संवत 2068–2071 में नया खाता संख्या 19 व पुराना 20 में रतना पुत्र किशन का नाम अंकित है। इसी तरह जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या नया 29 पुराना 26 में भी अपीलांट रामचरण, रमेशचन्द पुत्र रतनलाल, कमलाबाई, केदारबाई पुत्रियां रतनलाल, रामहेतार पुत्र बिरधीलाल का नाम अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में बिना किसी कारण के, बिना सुनवाई के अपीलांटगण के नाम खाते से डिलीट कर दिये हैं, जो हमारी राय में अत्यन्त त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदार को बिना पक्षकार बनाये निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांटगण को जवाब का अवसर देकर समुचित तनकीयात कायम कर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा